सं. 38/31/11- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (खंड. IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 14 अक्तूबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन- सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन में संशोधन के लिए प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) का दिनांक 1.1.1996 से समावेश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/10/98- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) में यह प्रावधान किया गया था कि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर ध्यान दिए बिना सभी पेंशनभोगियों की पेंशन, दिनांक 1.1.1996 से लागू न्यूनतम संशोधित वेतनमान के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इस विभाग के दिनांक 29.10.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/3/99- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) में यह स्पष्ट किया गया था कि सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के मामले में दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार समेकित पेंशन/ कुटुंब पेंशन को क्रमश: 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिनांक 1.1.1996 को न्यूनतम संशोधित वेतनमान में प्रैक्टिस-बंदी भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा।

2. सिविल अपील सं. 10640-46/2013 और अन्य संबंधित मामलों के दिनांक 27.11.2013 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 07.04.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45012/11/97-सीजीएस.V के अनुसार सेवानिवृति लाभों सहित सभी सेवा लाभों में प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) की गणना वेतन के रूप में की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि इस विभाग द्वारा दिनांक 29.10.1999 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी स्पष्टीकरण कानूनी तौर पर ग्राह्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि आवेदकों (अर्थात् 1996 से पूर्व के चिकित्सा अधिकारियों) को दी जाने वाली पेंशन का प्रैक्टिस-बंदी भत्ता जोड़कर पुनर्निर्धारण किया जाए। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2014 को खारिज कर दिया गया है।

3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग और विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के परामर्श से अब सी ए संख्या 10640-46/2013 और अन्य संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27.11.2013 के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां दिनांक 11.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/86/97-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के साथ पठित दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/10/98-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के अनुसार न्यूनतम संशोधित वेतनमान के क्रमश: 50 प्रतिशत/ 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था, वर्ष 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के मामले में वर्ष 1996 से पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है, के संगत दिनांक 1.1.1996 को न्यूनतम संशोधित वेतनमान में 25 प्रतिशत की दर से एनपीए शामिल किया जाए।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुमोदन से उनके दिनांक 29.9.2014 के आई.डी. सं. 518/ई-वी/2014 के अनुसार जारी किया जाता है ।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी.घोष)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक/ रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय